

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-25 की जानकारी बार्ड क्रमांक-74 स्थित अवैध कालोनी की सूची परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	मौजा/ग्राम	अमखेरा	खसरा नं.	निगम द्वारा की गई कार्यवाही
1	श्री अनिल प्रजापति श्री दिलीप प्रजापति पिता श्री राजाराम प्रजापति म.नं. 36 राजनीम नगर मोहलपुर जबलपुर	अमखेरा	नं.ब. 04 प.ह.नं. 22/24 नया 80 खसरा नं. 17/3 कुल रकबा 0.800 हेक्टेयर	कालोनी निर्माता को कार्यालयीन नोटिस क्रमांक-17 दिनांक 9.2.2017 एवं क्रमांक-327 दिनांक 20.01.2020 तथा सार्वजनिक सूचना से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
2	श्रीमति रजिया बेगम पति श्री गुलाम मोहम्मद निवासी 830 हलगर मोहल्ला जबलपुर	अमखेरा	नं.ब. 04 प.ह.नं. 24/26 नया 80 खसरा नं. 67/1 कुल रकबा 0.430 हेक्टेयर	कालोनी निर्माता को कार्यालयीन नोटिस क्रमांक-05 दिनांक 4.4.2017 एवं क्रमांक-326 दिनांक 20.01.2020 तथा सार्वजनिक सूचना से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
3	श्रीमति सुलोचना बाई पति श्री सुरेश यादव	अमखेरा	210, 228	कालोनी निर्माता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
4	श्री बदीप्रसाद प्रजापति/प्यारेलाल प्रजापति	अमखेरा	273	कालोनी निर्माता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
5	श्री ओंकार प्रसाद यादव मकान नं. 372 मोहलपुर धाने के सामने जबलपुर	अमखेरा	नं.ब. 04 प.ह.नं. 22/24 नया 80 खसरा नं. 130 वर्तमान खसरा नं. 130/1, 129/1 नामांतरण पश्चात् खसरा नं. 129/4	कार्यालयीन पत्रांक-249 दिनांक 8.10.2021 जारी किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
6	हाजी मोहम्मद इरशाद खान पिता मो. इकबाल खान 227 दक्षिण मिलोनीगंज	कुदवारी	खसरा नं. 27	कालोनी निर्माता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है

मुश्ताक अधिकारी
नव्य प्रदेश शासन
कृषि विकास एवं आवास विभाग

7	श्री कनछेदी लाल पिता सुमेर रैकवार	कुटुंबारी	115	कालोनी निर्माता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद कोरी/स्व. तुलाराम कोरी निवासी अमखेरा एवं श्री कमलेश कुमार उर्फ बलू कनौजिया/श्री रामप्रसाद पटेल निवासी अमखेरा	कुटुंबारी	58	कालोनी निर्माता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
9	श्री गुलाब अंबास पिता श्री गुलाब मुस्ताफा उरमानी निवासी 992 लाल स्कूल पीले स्कूल क सामने अब्दुल कलाम आजाद वार्ड जबलपुर	कुटुंबारी	130/3, 130/7 एवं 127	कार्यालयीन पत्रांक-40 दिनांक 25.11.2021 जारी किया गया है निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है
10	श्री शिवराम पटेल पिता श्री रामदास पटेल सुशीला परिसर वार्ड नं. 74 जबलपुर	अमखेरा	97/2	कार्यालयीन पत्रांक-308 दिनांक 9.3.2022 जारी किया गया है निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत आगामी कार्यवाही की जा रही है


 कार्यपालन रजिस्ट्री
 कालोनी सेल
 नगर निगम जबलपुर


 नगर निगम अधिकाारी
 मध्य प्रदेश शासन
 नगर निगम एवं आवास विभाग